

## संपादकीय संदेश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। बोर्ड के प्रमुख कार्य धारा 16 में उल्लेखित हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित है। बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा आंचलिक कार्यालय क्रमशः भोपाल, लखनऊ, वडोदरा, कोलकाता, बेगलुरु एवं शिलांग में कार्यरत हैं एवं आगरा में प्रोजेक्ट कार्यालय स्थित है। आंचलिक कार्यालय भोपाल राजभाषा अधिनियम के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित है एवं इसके अधिकार क्षेत्र में स्थित तीनों राज्य (मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़) भी 'क' क्षेत्र के अंतर्गत हैं। अतः कार्यालय का लगभग समस्त कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किया जाता है। यह कार्यालय राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित भी है। राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की अनिवार्यता के परिपेक्ष्य में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु सतत रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी एवं कर्मचारी स्वेच्छा से हिन्दी में कार्य कर रहे हैं।

दिनांक 30 जुलाई 2012 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्धवार्षिक बैठक की मद संख्या-6 में हुई चर्चा से प्रेरित हो कर आंचलिक कार्यालय भोपाल द्वारा 'पर्याभाष' के नाम से त्रैमासिक राजभाषा हिन्दी 'ई-पत्रिका' प्रकाशित की जा रही है।

त्रैमासिक राजभाषा हिन्दी 'ई-पत्रिका' प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य आंचलिक कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा की मुख्य धारा से जोड़ना है। पत्रिका के इस चतुर्थ अंक का प्रकाशन आंचलिक कार्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिन्दी राजभाषा के प्रति गहरा लगाव परिलक्षित करता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पत्रिका के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्य आंचलिक कार्यालय व अन्य केन्द्रीय कार्यालय भी ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने हेतु प्रोत्साहित होंगे।

पत्रिका के उन्नयन हेतु आपके सुझाव तथा हिन्दी में आलेख आमंत्रित हैं।

सभी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं।

आर.एस. कोरी  
आंचलिक अधिकारी